(Consequential order) जो आवश्यक हों, दे सकेंगे।

**धारा 128. सरकारी भूमियों का प्रबन्ध—** पंचायतों को अन्तरित की गई किसी सरकारी भूमि का प्रबंध ऐसी पंचायत द्वारा ऐसे नियमों के अनुसार किया जाएगा जो राज्य सरकार इस निमित्त बनाए।

**टिप्पणी (धारा 128)**

(1) सरकारी भूमि जो पंचायतों को ट्रान्सफर (अन्तरित) की गई हो उसमें पंचायत का हित निहित हो जाता है वे भूमि पंचायत में निहित (Vested) हो जाती हैं अतएव वे पंचायत भूमियां कहलाएंगी और जब तक वे निर्निहित (Divested) नहीं होती हैं उनके बारे में सारे प्रबन्ध पंचायत की अधिकारिता एवं दायित्व के अधीन रहते हैं उनके अधिक्रमण को हटाने का दायित्व भी पंचायत का रहेगा।

(2) जैसे नगरपालिका में निहित (Vested) भूमि है उसका पूरा अधिकार नगरपालिका को रहता है नजूल अधिकारी उस पर अधिक्रमण में सिवाय नगरपालिका के हस्तक्षेप नहीं कर सकता- **सिन्ध महाजन एक्सचेंज लि.** वि. **स्टेट,** 1980 रा. नि. 460 हाईकोर्ट डीबी **म्यु. इन्दौर** वि. **स्टेट,** 1972 ज.ला.ज. 614 = 1972 म.प्र.ला.ज. 598 (**म्यु. कौंसिल मंदसौर** वि. **स्टेट,** 1972 ज.ला.ज. 966 = 1972 म.प्र.ला.ज. 911)- यही रूलिंग पंचायतों के अधिकार की भूमि पर लागू होते हैं।

---

## अध्याय 14
## संपरीक्षा (Audit)

**धारा 129. पंचायतों की संपरीक्षा —** (1) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन एक पृथक् तथा स्वतंत्र संपरीक्षा संगठन होगा।

(2) संपरीक्षा संगठन में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले ऐसे अधिकारी तथा सेवक होंगे जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करना उचित समझे।

(3) पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा, संदाय की जाने वाली संपरीक्षा फीस और ऐसी संपरीक्षा रिपोर्टों पर कार्यवाही की रीति ऐसी होगी जो विहित की जाए।

---

## अध्याय- 14-क
## अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों के लिए विशिष्ट उपबंध

**धारा 129-क. परिभाषाएं-** इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी तथा इस अध्याय में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है ऐसा निकाय जो उन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनके नाम ग्राम स्तर पर उसके ऐसे भाग में, जिसके लिये उसका गठन किया गया है, पंचायत क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित हैं।

(ख) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है अनुसूचित क्षेत्र में कोई ऐसा ग्राम जिसमें साधारणतया आवास या आवासों का समूह अथवा छोटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के

अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता है ।

**धारा 129-ख. ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन.-** (1) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए किसी "ग्राम" को विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

(2) साधारणतया, ग्राम के लिये, जैसा कि उपधारा (1) में परिभाषित है, एक ग्राम सभा होगी :

परन्तु ग्राम सभा के सदस्य, यदि ऐसा चाहें तो किसी ग्राम में एक से अधिक ग्रामसभा का गठन ऐसी रीति में किया जा सकेगा, जैसा कि विहित किया जाए और ऐसी प्रत्येक ग्राम सभा के क्षेत्र में आवास या आवास का समूह अथवा छोंटा गांव या छोटे गांवों का समूह होगा जिसमें समुदाय समाविष्ट हों और जो परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबन्ध करेगा ।

(3) "ग्राम सभा" के सम्मिलन के लिये "ग्राम सभा" के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई से गणपूर्ति होगी जिसमें से कम से कम एक-तिहाई महिला सदस्य होंगी ।

(4) "ग्राम सभा" के सम्मिलन की अध्यक्षता, ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जाएगी जो पंचायत का सरपंच या उपसरपंच या कोई सदस्य न हो और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों की बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो ।

**टिप्पणी (धारा 129-B)**

(1) अध्याय 14-क में अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों के टपरे - झोपड़ियाँ बनी रहती हैं उनमें रहने वाले आदिवासी समुदाय के पुरवा या खुड़ा (छोटे–छोटे मुहल्ले जैसे) होते हैं जिन्हें "पुरा" भी बुन्देलखंड में कहते हैं, खुड़ा भी कहते हैं जहां समुदाय के व्यक्ति रहते हैं, के बारे में उल्लेख किया गया है ।

(2) ग्राम सभा के "ग्राम" में एक से अधिक ग्राम सभा गठित की जा सकती हैं, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में आदिम संस्कृति एवं सभ्यता के अनुरूप परम्परागत रीति रिवाज के आधार पर वे अपने क्रिया कलापों को मूर्त रूप देंगे, अपने ढंग से प्रबंध करेंगे ।

(3) **ग्राम सभा के कोरम की पूर्ति** - ग्राम सभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई सदस्यों की संख्या गणपूर्ति के लिये पर्याप्त है किंतु इन एक तिहाई सदस्यों की संख्या में भी एक तिहाई महिला सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है । संख्या एक तिहाई सदस्यों की कम न होने का अर्थ यह है कि कुल सदस्य संख्या सम्मिलन की तारीख पर जितनी उसकी एक तिहाई संख्या सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए, यदि 1/3 एक तिहाई के गणित में आधी सदस्य संख्या आती है तो उसे पूरा सदस्य गणना में लिया जायगा, इस एक तिहाई सदस्य संख्या की भी एक तिहाई सदस्य महिला सदस्यों की उपस्थिति होना अपेक्षित है - मान लीजिये कुल सदस्य संख्या 16 है तो एक तिहाई सदस्य से कम नहीं होने के कानूनी उपबंध की पूर्ति करने के लिये '5' सदस्य एक तिहाई से कम होंगे - इसलिए 6 सदस्य की गणपूर्ति मानी जायगी, इन छह सदस्यों में से एक तिहाई महिला सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है । पाठ इस प्रकार है -

"Not less than one-third of total, number of members of the "Gram Sabha" shall form a Quorum for meeting of the Gram Sabha out of which not less than one-third shall be women members."

(4) ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता भी अनुसूचित क्षेत्र के ग्राम सभा के सदस्य गणों में से ही बहुमत से चुना जायगा जो किसी अन्य पंचायत का सदस्य/सरपंच/उपसरपंच नहीं होगा.

अर्थात् अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के लिये विशेष अध्याय में विशेष उपबंध (special provisions) हैं।

**धारा 129-ग. ग्राम सभा की शक्तियाँ और कृत्य-** किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम सभा को धारा 7 के अधीन प्राप्त शक्तियों तथा कृत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ तथा कृत्य भी होंगे अर्थात् :-

(एक) व्यक्तियों की परम्पराओं तथा रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान और सामुदायिक साधनों को तथा विवादों के निराकरण के रूढ़िगत ढंग को सुरक्षित तथा संरक्षित करना;

(दो) .....

(तीन) ग्राम के क्षेत्र के भीतर के प्राकृतिक स्त्रोतों को, जिनके अन्तर्गत भूमि, जल तथा वन आते हैं उसकी परम्परा के अनुसार और संविधान के उपबंधों के अनुरूप और तत्समय प्रवृत्त अन्य सुसंगत विधियों की भावना का सम्यक् ध्यान रखते हुए प्रबन्ध करना;

(चार) .....

(पांच) ग्राम के बाजारों तथा मेलों को, जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जाएं; ग्राम पंचायत के माध्यम से प्रबंध करना;

(छह) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिये स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(सात) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

**धारा 129-घ. ग्राम पंचायत के कृत्य.-** इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अनुसूचित क्षेत्र में, ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा के साधारण अधीक्षण, नियंत्रण तथा निदेश के अधीन निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् :-

(एक) .....

(दो) ग्राम के बाजारों तथा मेलों का जिनमें पशुमेला सम्मिलित है, चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें प्रबंध करना;

(तीन) .....

(चार) .....

(पांच) .....

(छह) .....

(सात) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों का निर्वहन करना जिसे राज्य सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

**धारा 129-ङ स्थानों का आरक्षण.-** (1) अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण उस पंचायत में उनकी अपनी-अपनी जनसंख्या के अनुपात में होगा :

परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण स्थानों की कुल संख्या के आधे से कम नहीं होगा :

परन्तु यह और भी कि अधिसूचित क्षेत्रों में सभी स्तरों पर पंचायत के यथास्थिति सरपंच या अध्यक्ष के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगे :

परन्तु यह भी कि उन अनुसूचित क्षेत्रों में की ग्राम पंचायतों को जिनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या नहीं है, अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित यथा स्थिति स्थानों या पदों के आवंटन से विहित रीति में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(2) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों में व्यक्तियों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका अनुसूचित क्षेत्रों के मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है :

परन्तु ऐसा नाम निर्देशन उस पंचायत में निर्वाचित किए जाने वाले कुल सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।

(3) अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत में, अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऐसी संख्या में स्थान आरक्षित किए जाएंगे जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, यदि कोई हों, के लिए आरक्षित स्थानों के साथ मिलकर उस पंचायत के समस्त स्थानों के तीन चौथाई स्थानों से अधिक नहीं होंगे।

**धारा 129-च. जनपद तथा जिला पंचायत की शक्तियाँ.-** इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुसूचित क्षेत्रों में यथास्थिति जनपद पंचायत या जिला पंचायत को निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी, अर्थात् :-

(एक) किसी विनिर्दिष्ट जल क्षेत्र तक के लघु जलाशयों की योजना बनाना, उन पर स्वामित्व तथा उनका प्रबंध करना;

(दो) समस्त सामाजिक सेक्टरों में उनको अन्तरित संस्थाओं तथा कृत्यकारियों पर नियंत्रण करना;

(तीन) स्थानीय योजनाओं पर, जिनमें जनजातीय उप-योजनाएं सम्मिलित हैं, तथा ऐसी योजनाओं के लिए स्त्रोतों और व्ययों पर नियंत्रण रखना; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करना जिसे राज्य सरकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे प्रदत्त करे या न्यस्त करे।

---

## अध्याय 15

## निरसन (Repealing)

**धारा 130. निरसन तथा व्यावृत्ति.—** (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख को तथा तारीख से, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1990 (क्र. 13 सन् 1990) जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है निरस्त हो जाएगा :

(ङ) निष्पादक एजेन्सी को कार्य की प्रगति के अनुसार वित्तीय आवंटन करना,

(च) जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित लक्ष्य की सीमा तक योजना के कार्यान्वयन हेतु जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत को वित्तीय आवंटन,

(छ) ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत स्तरीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए एवं ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय वार्षिक कार्य योजना की तैयारी,

(ज) स्थाई समिति से ग्रामीण विकास की योजनाओं के लक्ष्यों का जनपद पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतवार निर्धारण करवाना एवं संबंधित पंचायतों को उसकी सूचना देना।

**23. प्रकीर्ण :**

(1) जिला पंचायत इस नियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए सामान्य सभा के अनुमोदन से प्रक्रियात्मक कार्यविधि तय कर सकेगी।

(2) सामान्य सभा तथा उसके सचिव की प्रक्रिया के लिये इस भाग के उपबंध यथा परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(3) जिला पंचायत द्वारा या उसकी ओर से सभी पत्राचार मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्राधिकृत जिला पंचायत के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर के अधीन, तथा जिला पंचायत के नाम से किया जावेगा और आवश्यक रूप से उसके या उसकी स्थायी समिति के सुसंगत संकल्प के अनुसार होगा।

**24. सामान्य.-** इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

---

# छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998

## विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

**अधिसूचना क्र. 3133/पं/वेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.–** म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000** है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

---

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुंए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

## अनूसूची

| अनुक्रमांक | विधि का नाम |
|---|---|
| 42 | **छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998** |

**क्र. एफ. 1-11-98-बाईस.-पं- 2.-** छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 129-ख के साथ पठित धारा 95 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम, जो कि धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित रूप से पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है, अर्थात् :–

## नियम

**1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना.-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998** है.

(2) ये नियम छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में लागू होंगे.

**2. परिभाषाएँ.-** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;-

(क) **"प्ररूप"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ख) **"ग्राम सभा"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 129-क के खंड (क) में यथा परिभाषित ग्राम सभा;

(ग) **"ग्राम पंचायत"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम पंचायत;

(घ) **"जनपद पंचायत"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन स्थापित जनपद पंचायत;

(ङ) **"जनसंख्या"** से अभिप्रेत है अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े भारत सरकार या इस निमित्त नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित किये जा चुके हैं;

(च) **"विहित प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व);

(छ) **"सरपंच"** से अभिप्रेत है धारा 17 के अधीन निर्वाचित सरपंच या धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रतिस्थापित किया गया सरपंच;

(ज) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खंड (1) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(झ) **"उप सरपंच"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन निर्वाचित उप सरपंच; तथा

(ञ) **"ग्राम"** से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 129-क के खंड (खं) के अधीन यथा परिभाषित ग्राम.

**3. ग्राम सभा का गठन.-** अधिनियम की धारा 129-क के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक "ग्राम" के लिये साधारण एक "ग्राम सभा" होगी. परंतु ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर एक से अधिक "ग्राम सभाओं" का गठन नियम 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा.

**4. एक से अधिक ग्राम सभाओं के गठन की प्रक्रिया.-** (1) निम्नलिखित क्षेत्र के लिये पृथक् एक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा :-

(क) ग्राम या ग्रामों के समूह के लिये,

(ख) खेड़ा या खेड़ों (हेमलेट्स) के समूह जिसमें मोहल्ला, मजरा, टोला या पारा आदि सम्मिलित हैं, तथा

(ग) आवास या आवासों का समूह

जिसमें समाविष्ट समुदाय परम्पराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो.

(2) ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर या उस क्षेत्र के रहवासी मतदाता संकल्प द्वारा पारित कर या लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर विहित अधिकारी से उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में समाविष्ट क्षेत्र के लिये पृथक् ग्राम सभा की स्थापना की प्रार्थना कर सकेंगे.

(3) (क) उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट उल्लेखित प्रस्ताव या आवेदन प्राप्त होने पर विहित अधिकारी उपनियम (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में वर्णित क्षेत्र के लिये पृथक् ग्राम सभा स्थापित करने के आशय से एक सार्वजनिक सूचना प्ररूप- 1 में जारी करेगा.

(ख) प्रत्येक ऐसी सूचना में प्रस्तावित नवीन ग्राम सभा में समाविष्ट होने वाले क्षेत्र तथा विद्यमान ग्राम सभा से अपवर्जित होकर शेष रह जाने वाले क्षेत्र तथा उसकी जनसंख्या का विवरण होगा.

(ग) प्रत्येक ऐसी सूचना में, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख तक आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किये जायेंगे, और किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट तारीख के अवसान के पूर्व प्राप्त आपत्ति या सुझाव पर विहित अधिकारी द्वारा विचार किया जायेगा.

(घ) प्रत्येक ऐसी सूचना विहित प्राधिकारी के कार्यालय, संबंधित ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत के सूचना पटल पर और ऐसे आशय से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में सहज-दृश्य स्थान पर चिपकवाकर तथा डोंडी पीटकर प्रकाशित की जायेगी.

(ङ) विहित अधिकारी खंड (ग) में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत ऐसी आपत्तियों या सुझावों, यदि कोई हों, तथा नई प्रस्तावित नई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले क्षेत्र के उसकी जनसंख्या, ग्राम पंचायत मुख्यालय से दूरी, प्रस्तावित क्षेत्र में रहवासी मतदाताओं की रूढ़ियां एवं परम्पराओं आदि पर विचार कर नई ग्राम सभा के गठन कर विनिश्चय करेगा.

**5.** (1) विहित प्राधिकारी नवीन ग्राम सभा के गठन की अधिसूचना प्ररूप- 2 में जारी करेगा. जिसमें उस "ग्राम" में आने वाली ग्राम सभाओं का क्षेत्र व उनका विवरण होगा. पुनर्गठित ग्राम सभाएं आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएंगी.

(2) ऐसी अधिसूचना का प्रकाशन नियम- 4 के उपनियम (3) के खंड (घ) में अधिकथित रीति में किया जायेगा और उसकी एक प्रति जिला कलक्टर, उप संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत तथा संबंधित ग्राम पंचायत को भेजी जाएगी.

**6. ग्राम सभा का सम्मिलन.-** ग्राम सभा का सम्मिलन ऐसे अन्तरालों पर आयोजित किया जायेगा जैसा कि उसके समक्ष विचारार्थ कार्य-सूची के आधार पर आवश्यक हो :

परंतु ग्राम सभा का प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित होगा :

परन्तु यह और कि ग्राम सभा के एक तिहाई सदस्यों द्वारा लिखित में मांग करने पर या कलक्टर या जिला पंचायत द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन तीस दिन की कालावधि के भीतर बुलाया जायेगा.

**7. ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख, समय व स्थान.-** (1) ग्राम सभा के सम्मिलन की तारीख, समय व स्थान सरपंच द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा तथा सरपंच और उप-सरपंचों

दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा नियत किया जायेगा।

(2) ग्राम पंचायत का सचिव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा मांग किये जाने पर या कलक्टर या जिला पंचायत द्वारा अध्यपेक्षा किये जाने पर ग्राम सभा का सम्मिलन बुलायेगा और वह ऐसी सूचना की जानकारी सरपंच को देगा।

(3) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित ग्राम सभा का वार्षिक सम्मिलन ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर होगा।

**8. ग्राम सभा के सम्मिलन की सूचना देने की रीति.-** ग्राम सभा का सम्मिलन आहूत किये जाने की सूचना देने की रीति ऐसी होगी जो कि ग्राम सभा नियत करें। छत्तीसगढ़ ग्राम सभा (सम्मिलन की प्रक्रिया) नियम, 1994 का नियम 4 इस संबंध में लागू होगा।

**9. गणपूर्ति.-** (1) ग्राम सभा के किसी सम्मिलन के लिये गणपूर्ति ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से होगी, जिसमें एक तिहाई महिला सदस्य होंगी।

(2) यदि सम्मिलन के लिये नियत किये गये समय पर गणपूर्ति नहीं है तो सभापति सम्मिलन को ऐसी आगामी तारीख तथा समय के लिये स्थगित कर देगा जैसा कि वह नियत करे और एक नई सूचना विहित रीति में दी जायेगी तथा ऐसे स्थगित सम्मिलन के लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी :

परन्तु ऐसे सम्मिलन में किसी नये विषय पर विचार नहीं किया जायेगा।

**10. ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता.-** ग्राम सभा के सम्मिलन की अध्यक्षता ग्राम सभा के अनुसूचित जनजातियों के किसी ऐसे सदस्य द्वारा की जायेगी जो ग्राम पंचायत का सरपंच या उप-सरपंच या सदस्य न हो, और जो उस सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा इस प्रयोजन के लिये निर्वाचित किया गया हो.

**11. ग्राम सभा के सम्मिलन का संचालन.-** (1) ग्राम सभा के सम्मिलन का संचालन उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जायेगा, जो सभापति संबोधित किया जायेगा.

(2) सभापति (चेयर परसन) ग्राम सभा की राय से ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ लिये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा की प्रक्रिया विनिश्चित करेगा.

(3) सम्मिलन में लिये गये निर्णयों का संक्षेप जानकारी के लिये पढ़कर सुनाया जायेगा. सचिव उसी के अनुसार विनिश्चयों को कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा.

**12. बहुमत द्वारा विनिश्चय.-** (1) ग्राम सभा के किसी सम्मिलन के समय लाये गये कारबार के सभी मुद्दों पर का विनिश्चय ग्राम सभा के सदस्यों के मतैक्य के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु यदि किसी विवाद्यक पर तीव्र मतभेद हो तो ऐसे समस्त विषय वहां पर उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किये जायेंगे तथा मतदान हाथ उठाकर किया जावेगा। मतों की समानता की दशा में सम्मिलन का सभापति निर्णायक मत देगा।

(2) यदि ऐसे कोई विवाद उद्‌भूत होता है जिससे कोई व्यक्ति मतदान का हकदार है या नहीं तो ग्राम सभा क्षेत्र की मतदाता सूची में प्रविष्टि को ध्यान में रखते हुए उस सम्मिलन के सभापति द्वारा उसका विनिश्चय किया जावेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

**13. उपस्थिति रजिस्टर.-** ग्राम सभा के सम्मिलन में उपस्थित होने वाले सदस्यों के नाम प्ररूप 4 में रखे गये उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज किये जावेंगे.

**14. कार्यवृत्त अभिलेख.-** (1) ग्राम सभा के प्रत्येक सम्मिलन के कार्यवृत्त, कार्यवाहियों के अभिलेख तथा विनिश्चय तथा उसमें उपस्थित सदस्यों की संख्या कार्यवृत्त पुस्तक में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा इन नियमों के संलग्न प्ररूप- 3 में प्रविष्टि की जावेगी. और उसी सम्मिलन में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा उसकी पुष्टि की जायेगी.

(2) कार्यवृत्त हिन्दी में देवनागरी लिपि में लिखा जायेगा.

(3) ग्राम सभा की कार्यवाही के कार्यवृत्त की प्रति सचिव द्वारा ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जावेगी.

(4) ग्राम सभा की सिफारिशों को ग्राम पंचायत कार्यान्वित करेगी अथवा करायेगी.

**15. ग्राम सभा के समक्ष रखे गये अभिलेखों का निरीक्षण.**- ग्राम सभा के प्रत्येक सदस्य को ग्रांम सभा के समक्ष रखे जाने वाले अभिलेखों का ग्राम पंचायत के कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण करने का अधिकार होगा.

**16. निरसन एवं व्यावृत्ति.**- इन नियमों के तत्स्थानी ऐसे समस्त नियम तथा उप-विधियाँ जो उनके प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों तथा उप-विधियों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्यवाही के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया था या की गई है.

## प्ररूप-1

[देखिए नियम 4 का उप-नियम (3)]

### सूचना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) के साथ पठित छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-4 के उप-नियम (3) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित (ग्राम/ग्रामों के समूह/मजरा/टोला/आदि के लिये पृथक) ग्राम सभा के गठन के आशय की जानकारी एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है.

उन आपत्तियों या सुझावों पर, जो दिनांक..... तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त होंगे, विचार किया जावेगा. अवसान होने के पूर्व प्राप्त आपत्तियों, दावों या सुझावों पर दिनांक..... को कार्यालय में सुनवाई की जायेगी.

### सारणी

| विकासखंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र | प्रस्तावित ग्राम सभा | | | | अन्य ब्यौरा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्राम सभा का अनुक्रमांक | ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा) | जनसंख्या | पटवारी हल्का क्रमांक | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | 1.<br>2.<br>3. | | | | |

स्थान :
जारी करने का दिनांक

विहित अधिकारी

## प्ररूप-2

[देखिए नियम 5 का उपनियम (1)]

### अधिसूचना

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक-1 सन् 1994) की धारा 129-ख की उपधारा (2) सह पठित छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम, 1998 के नियम-5 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विहित अधिकारी

एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में वर्णित ग्राम पंचायत की सीमा के भीतर कालम (5) में वर्णित क्षेत्र के लिये पृथक ग्राम सभा (सभाओं) का गठन करते हैं, जो आगामी माह की प्रथम तारीख से अस्तित्व में आएंगी :-

**सारणी**

| खंड का नाम | ग्राम पंचायत का नाम | विद्यमान ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र | नवगठित ग्राम सभा | | | | अन्य ब्यौरे |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ग्राम सभा का अनुक्रमांक | ग्राम सभा में सम्मिलित क्षेत्र (ग्राम, मजरा, टोला, पारा) | जनसंख्या | पटवारी हल्का क्रमांक | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| | | | 1.<br>2.<br>3. | | | | |

स्थान : विहित अधिकारी

जारी करने का दिनांक

**प्ररूप- 3**

(देखिए नियम- 14)

**ग्राम सभा के कार्यवृत्त अभिलेख**

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. सम्मिलन की तारीख .....
3. सम्मिलन का स्थान .....
4. सम्मिलन का समय .....
5. उपस्थित ग्राम सभा सदस्यों की संख्या .....

| अनुक्रमांक | ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय | सम्मिलन के कार्यवृत्त |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

स्थान : ग्राम पंचायत के सचिव के

तारीख : हस्ताक्षर एवं रबर मुद्रा.

**प्ररूप- 4**

(देखिए नियम-13)

**ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति रजिस्टर**

1. ग्राम पंचायत का नाम .....
2. ग्राम सभा का नाम .....
3. सम्मिलन की तारीख .....
4. सम्मिलन का स्थान .....
5. सम्मिलन का समय .....

| अनुक्रमांक | सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम | सदस्यों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में).....

स्थान :
तारीख :

सचिव के हस्ताक्षर
(मुद्रा)

---

# छत्तीसगढ़ पंचायत (पशु वधशाला का विनियमन) नियम, 1998

## विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

**अधिसूचना क्र. 3133/पं/वेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.**— म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000** है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

### अनूसूची

| अनुक्रमांक | विधि का नाम |
|---|---|
| 43 | **छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (पशुवध शाला का विनियमन) नियम, 1998** |

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।

(नौ) ऐसी अन्य संस्थाएं, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, से क्रय की गई वस्तुओं को.

**13. अप्राप्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् क्रय.-** ऐसी सामग्री, जो राज्य सरकार के भंडार क्रय नियम के अधीन, कृषि उद्योग विकास निगम लघु उद्योग निगम, खादी ग्रामोद्योग, चर्म विकास निगम, हस्तशिल्प विकास निगम आदि के माध्यम से क्रय की जाना आशयित है उनसे अप्राप्यता प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही इन नियमों में कथित प्रक्रिया का पालन करते हुए खुले बाजार में क्रय की जाएगी.

**14. सामग्री की प्राप्ति.-** माल तथा सामग्री प्राप्त होने पर उसे समुचित रूप से, यथास्थिति, जांच किया जाएगा तथा गिना, मापा या तौला जाएगा और प्राप्तिकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं का समाधान कर ले कि प्रदाय की गई सामग्री नमूने के अनुसार सही मानक तथा गुणवत्ता की है.

**15. निरसन.-** इन नियमों के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में अंतिम प्रकाशन की तारीख से ग्राम पंचायत (सामग्री तथा माल की खरीद) नियम, 1963, जनपद पंचायत (सामग्री तथा माल खरीद) नियम, 1963 तथा जिला पंचायत (सामग्री तथा माल खरीद) नियम, 1963 एतद्द्वारा निरस्त किये जाते हैं.

---

# छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999

## विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000[1]

**अधिसूचना क्र. 3133/पं/वेट/2002 दिनांक 23 अक्टूबर, 2002.–** म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

### आदेश

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम **विधियों का अनुकूलन आदेश, 2000** है।

(2) यह नवम्बर 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर लागू होगा।

2. इस आदेश की अनुसूची में, समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थीं, एतद्द्वारा तब तक छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तारित हो जाती हैं, तथा प्रवृत्त रहेंगी, जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाएं। उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए।

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों द्वारा उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी।

### अनूसूची

| अनुक्रमांक | विधि का नाम |
|---|---|
| 59 | **छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999** |

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-10-2002 पृष्ठ 531-532(3) पर प्रकाशित।

## नियम

**1. संक्षिप्त नाम-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत (अनुसूचित जनजातियों के पदाधिकारियों के लिए आरक्षित स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जन) नियम, 1999** है.

**2. परिभाषाएं.-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994);

(ख) **"ग्राम पंचायत"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 10 के अधीन गठित ग्राम पंचायत;

(ग) **"पंच"** से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का पंच;

(घ) **"सरपंच"** से अभिप्रेत है ग्राम पंचायत का सरपंच;

(ङ) **"अनुसूचित क्षेत्र"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्र;

(च) **"धारा"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा.

**3.** जब कलेक्टर की जानकारी में, अंतिम पूर्व जनगणना पर प्रकाशित सुसंगत आंकड़ों से या अन्यथा यह आता है कि अनुसूचित क्षेत्र की कोई ग्राम पंचायत, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की कोई जनसंख्या नहीं है, को अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंचों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पदों के आवंटन से अपवर्जित किया जाना है, तो वह नायब तहसीलदार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी की उपस्थिति में ग्राम सभा का सम्मिलन बुलाकर ऐसे अपवर्जन के अवधारण के लिए स्थानीय जांच कराएगा और ऐसी ग्राम सभा का कोई सम्मिलन पूर्व लोक सूचना या उद्घोषणा जिसमें ऐसे सम्मिलन की तारीख, समय, स्थान तथा विचार के मामले बतलाए गए हों, के बिना नहीं बुलाया जाएगा.

**4.** कलेक्टर, नियम 3 में जांच रिपोर्ट तथा विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत आपत्ति, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उक्त ग्राम पंचायत को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जित करने का विनिश्चय करेगा. कलेक्टर, विनिश्चय करने के पश्चात् यह आदेश पारित करेगा कि उक्त ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जित की गई है :

परन्तु कलेक्टर किसी ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जन करने के विनिश्चय पर नहीं पहुंचेगा, यदि उसकी राय में ग्राम पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की अनुपस्थिति अस्थायी या सामयिक प्रकृति की है या उस क्षेत्र से अनुसूचित जनजातियों की असद्भावपूर्वक या अन्यथा बेदखली के कारण हैं.

**5.** उक्त ग्राम पंचायत का अनुसूचित जनजातियों के पंचों या सरपंच के लिए आरक्षित, यथास्थिति, स्थानों या पद के आवंटन से अपवर्जन तब तक प्रवृत्त रहेगा जब तक ग्राम पंचायत अपनी अवधि पूर्ण नहीं कर लेती तथा आगामी सामान्य निर्वाचन में कलेक्टर अधिनियम की धारा 129-ङ की उपधारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व नियम 3 में विहित रीति में पुनः अग्रसर होगा.